

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 30.10.2022

पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिये गये शातिर लुटेरो से चैन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना शाहपुर के कुशल नेतृत्व में मु0अ0सं0 437/22 धारा- 392 भादवि में राप्तीनगर फेज 1 से एक महिला से व मु0अ0सं0- 484/22धारा -392 भादवि में एच0एन0 सिंह चौराहे से एक महिला से लूटी गयी चैन की बरामदगी के क्रम में उ0नि0 राकेश कुमार व उ0नि0 सत्यप्रकाश चौबे द्वारा अभियुक्तगण मनीष यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी मंडार बिन्दवलिया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर का जिला कारागार गोरखपुर से व राहुल पाण्डेय उर्फ मयंक पुत्र रविन्द्र पाण्डेय निवासी हरकपुरा टोला सोनबरसा थाना घुघली जनपद महाराजगंज का जिला कारागार महाराजगंज से मा0 न्यायलय से पुलिस कस्टडी रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु मा0 न्यायालय में प्रतिवेदन किया गया जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा 12 घण्टे का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड स्वीकृत किया गया। अभियुक्तगण मनीष यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी मंडार बिन्दवलिया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर व राहुल पाण्डेय उर्फ मयंक पुत्र रविन्द्र पाण्डेय निवासी हरकपुरा टोला सोनबरसा थाना घुघली जनपद महाराजगंज को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर उनकी निशानदेही पर मु0अ0सं0 484/2022 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित लूटी गयी चैन तथा मु0अ0सं0 437/2022 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित नगद रुपया बरामद किया गया।

बरामदगी-

1. मु0अ0सं0 484/2022 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित लूटी गयी चैन
2. मु0अ0सं0 437/2022 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित नगद रुपया बरामद किया गया

अभियुक्त राहुल पाण्डेय उर्फ मयंक का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 437/2022 धारा 392 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 484/2022 धारा 392 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 149/22 धारा 394,504,411 भादवि थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज।
4. मु0अ0सं0 156/22 धारा 307 भादवि थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज।
5. मु0अ0सं0 157/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज।
6. मु0अ0सं0-284/22 धारा-392,323,411 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
7. मु0अ0सं0 457/22 धारा 379,411 भादवि थाना निचलौल जनपद महाराजगंज।
8. मु0अ0सं0 - 394/22 धारा -379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज।

अभियुक्त मनीष यादव का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 437/2022 धारा 392 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 484/2022 धारा 392 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 152/2022 धारा 41,411 भादवि थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज।